न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
सागर संभाग कैम्प (म0प्र0)

निग/2968/II/15

रा0पु0या0 ता0पेशी – 25-08-2015

परमलाल उर्फ चिप्पू सींग तनय रामसींग दांगी उम्र 43 साल
साकिन बासाकला तहसील पथरिया जिला दमोह (म0प्र0)

—— पुनरीक्षणकर्ता

आज दिनांक 25/8/15 को श्री — द्वारा प्रस्तुत

// विरुद्ध //

मुन्नासींग तनय रामसींग दांगी उम्र 45 साल
साकिन बासाकला तहसील पथरिया जिला दमोह (म0प्र0)

—— उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

अधिनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह का रा0 प्र0क्र0 80अ-6 वर्ष 13-14 पक्षकार - परमलाल उर्फ चिप्पू सींग बनाम मुन्नालाल मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-8-15 से पीडित व दुखित होकर अन्य आधारो के अलावा निम्नलिखित आधारो पर याचिकाकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

(1) यह कि अधिनस्थ राजस्व न्यायालय के विद्वान राजस्व अधिकारी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनन एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल की है।

(2) यह कि अधिनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता अपीलार्थी के धारा 52 के आवेदन पत्र पर विचार कर श्रीमान् - तहसीलदार पथरिया के द्वारा रा0प्र0क्र0 6/अ-6 वर्ष 12-13 में पारित आदेश दिनांक 22-09-2014 के क्रियान्वयन पर विधिवत स्थगन आदेश पारित किया था जिसे प्रकरण के निराकरण तक यथावत रखना था।

(3) यह कि अधिनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पारित स्थगन

//2//

R-2969/II/15 जिला-दमोह

परमाल / मुन्ना सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	आवेदक की ओर से प्रताप दुबे अभि० उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि यह प्रकरण मुख्यतः नामांतरण से संबंधित है जिसमें नामांतरण वसीयत के आधार पर किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने न्यायालयीन आदेश दिनांक 27-9-14 से तहसीलदार पथरिया के प्र.क्र. 6/अ-6/12-13 में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22-9-14 के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के आवेदन दिनांक 3-3-15 को आधार मानकर बिना कारण बताये तथा नामांतरण प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में दो दो वसीयतें होने के महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए जारी स्थगन आदेश दिनांक 27-9-14 को निरस्त करने में भूल की है जिससे आवेदक के हित प्रभावित होकर मौके की स्थिति प्रभावित होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को प्रभावी रखते हुए प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रकरण को ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं एवं प्रकरण के संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6.8.2015 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्त करने के संबंध में ठोस कारण अभिलिखित नहीं किये गये हैं बिना कारण स्पष्ट किए स्थगन आदेश निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अवलोकन कर प्रकट दोनों वसीयतों को विचार में लेकर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तीन माह में गुण दोष के आधार पर अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण का अनिवार्य रूप से निराकरण करें यह भी ध्यान रखा जावे कि अंतिम आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत बाधित न हो। तीन माह में प्रकरण के निराकरण तक यथा स्थिति कायम रखी जावे। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	[signature] [signature]